R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

(1935 - 2010) प्लैटिनम जयंती PLATINUM JUBILEE

खण्ड V ◆ अंक 12

जून 2009

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

ऑफ साइट एटीएम खोलने की नीति में छूट

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अब उनके द्वारा निर्धारित केंद्रों/स्थानों पर ऑफ साइट एटीएम स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक समझे तो इस प्रकार के ऑफ साइट एटीएम को बंद करने/स्थान परिवर्तन करने के लिए निदेश जारी कर सकता है। बैंकों को खोले गये ऑफ साइट एटीएम के संबंध में पूर्ण ब्योरों की सूचना, एटीएम परिचालन आरंभ होने के तुरंत बाद और किसी भी हालत में दो सप्ताह में निर्धारित फार्मेट में रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा के ऑफ साइट एटीएम के मामले में) को भेजनी चाहिए।

जो बैंक अपने एटीएम के माध्यम से ग्राहकों को नकदी जमा करने की सुविधा देते हैं, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा के उपाय/प्रक्रिया (उदाहरण के लिए पिन/पासवर्ड आदि के माध्यम से पहुंच) स्थापित करनी चाहिए, ताकि जमा किये गये नोट यदि जाली/दोषपूर्ण हों तो जमाकर्ता की पहचान की जा सके।

ऑफ साइट एटीएम के स्थान परिवर्तन/बंदी आदि के ब्योरे रिज़र्व बैंक को ऐसे स्थान परिवर्तन/बंदी के तुरंत बाद या किसी भी हालत में दो सप्ताह में सूचित किये जाने चाहिए।

बैंकों को आगे सूचित किया गया कि उन्हें ऑफ साइट एटीएम खोलने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई है:

(i) ऑफ साइट एटीएम में किया गया कारोबार उनकी संबंधित शाखाओं/मूल शाखा/केंद्रीकृत डेटा सेंटर की बहियों में दर्ज किया जाए।

(ii) ऑफ साइट एटीएम केंद्र पर सुरक्षा गार्ड के अलावा और कोई भी व्यक्ति तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) एटीएम की नकदी संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त आपाती व्यवस्था होनी चाहिए।

(iv) केवल समुचित रीति से छांटे गये और सुपरीक्षित नोट ही एटीएम के माध्यम से संचलन में डाले जाए।

(v) एटीएम स्क्रीन/नेटवर्क पर थर्ड पार्टी विज्ञापन (अन्य उत्पादकों/व्यापारियों/विक्रेताओं के उत्पाद) का प्रदर्शन नहीं हो। तथापि, बैंक अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए एटीएम स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है।

बैंकों द्वारा एटीएम के माध्यम से दी जानेवाली सुविधाएं निम्नानुसार है :

- जमा/निकासी;
- वैयक्तिक पहचान संख्या (पिन) में परिवर्तन
- चेक-बुक की मांग
- खाता विवरण
- शेष संबंधी पूछताछ
- बैंक के भीतर एक ही ग्राहक के खातों के बीच अथवा एक ही केंद्र पर बैंक के विभिन्न ग्राहकों के बीच अथवा देश के भीतर विभिन्न केंद्रों के बीच अंतर खाता अंतरण
- अंतर बैंक निधि अंतरण - बैंक के ग्राहकों और अन्य बैंकों के ग्राहकों के बीच निधि अंतरण
- बैंक को लिखित संदेश भेजने के लिए मेल सुविधा
- उपयोगिता संबंधी अदायगी जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि;
- रेलवे टिकट जारी करना
- उत्पादों की सूचना

प्रसंगवश, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ऑन-साइट एटीएम (शाखा और विस्तार काउंटरों में स्थित एटीएम, जिनके लिए बैंकों के पास बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकरण हैं) की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

विषय सूची

नीति	पृष्ठ
ऑफ साइट एटीएम खोलने की नीति में छूट	1
केंद्रीय काउंटरपार्टियों के प्रति बैंकों के एक्सपोजर	2
धोखाधड़ी के मामले बंद करने के मानदंडों में छूट	2
गारंटियां जारी करना	2
सहकारी बैंकिंग	
लाभांशों की घोषणा	2
संपत्ति का मूल्यन - मूल्यनकर्ताओं का पैनल	3
वाणिज्यिक स्थावर संपदा में एक्सपोज़र	3
मजबूत विनियमन में परिवर्धन तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने पर जी 20 कार्यदल की सिफारिशें	4

केंद्रीय काउंटरपार्टियों के प्रति बैंकों के एक्सपोज़र

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि केंद्रीय काउंटरपार्टियों के प्रति बैंकों के विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम एक्सपोज़र के लिए पूंजी पर्याप्तता कार्रवाई के संशोधित मानंदड निम्नानुसार होंगे :

i) बकाया डेरिवेटिव व्यापार और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन [जैसे संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ), रिपो] के कारण सीसीपी के प्रति होनेवाले एक्सपोज़र पर काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए शून्य एक्सपोज़र मूल्य दिया जाएगा, क्योंकि यह माना जाता है कि सीसीपी का अपनी काउंटरपार्टियों के प्रति एक्सपोज़र दैनिक आधार पर पूर्णतया संपार्श्वीकृत है और इस प्रकार सीसीपी के ऋण जोखिम एक्सपोज़र सुरक्षित हो जाते है।

ii) बैंकों द्वारा केंद्रीय काउंटरपार्टियों के पास रखी गयी जमाराशि/संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर सीसीपी के स्वरूप के अनुरूप जोखिम भार लगेगा। सीसीआईएल के मामले में, जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य सीसीपी के मामले में जोखिम भार नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे के अनुसार उन संस्थाओं को दी गयी रेटिंग के अनुसार होगा।

मार्जिन की पर्याप्तता, संपार्श्विक प्रतिभूति की गुणवत्ता और समाशोधन गृह/सीसीपी की जोखिम प्रबंध प्रणालियों के संबंध में उपर्युक्त अपेक्षाओं की समीक्षा एक वर्ष बाद की जाएगी।

सभी मौजूदा एक्सपोज़र सीमाएँ, जैसे विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए अंतराल सीमा, ब्याज दर जोखिम एक्सपोज़र के लिए पीवी 01 सीमाएँ जो बैंकों के ओटीसी डेरिवेटिव एक्सपोज़र पर लागू होती हैं, एक्सचेंजों में होनेवाले व्यापार लेनदेनों पर भी लागू होती रहेंगी।

धोखाधड़ी के मामले बंद करने के मानदंडों में छूट

बैंकों से प्राप्त प्रतिवेदनों को ध्यान में रख कर रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ी के मामले बंद करने संबंधी अपने पूर्व अनुदेशों की समीक्षा की तथा अब यह निर्णय लिया कि बैंकों को 25.00 लाख रुपये तक की राशि के ऐसे मामले सीमित सांख्यिकीय/रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए बंद करने की अनुमति दी जाए जहाँ :

- सीबीआई/पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दाखिल करने की तारीख से जाँच जारी है अथवा न्यायालय में चालान/आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है; अथवा
- सीबीआई/पुलिस द्वारा आरोप पत्र/चालान दाखिल करने के पश्चात न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ नहीं हुई है अथवा चल रही है।

ऐसे सभी मामले बंद किए जाने के पात्र होंगे बशर्ते -

- स्टाफ के उत्तरदायित्व पक्ष की जांच पूरी हो गई हो।
- धोखाधड़ी की राशि वसूल हो गई हो अथवा बट्टे खाते लिख दी गई हो।
- जहाँ भी लागू हो वहाँ बीमा संबंधी दावे का निपटान हो गया हो।
- बैंक ने कार्य प्रणाली तथा कार्यविधि की समीक्षा कर ली हो, कारक घटकों का पता लगा लिया हो तथा कमियों को दुरुस्त कर लिया गया हो तथा इस तथ्य को उपयुक्त प्राधिकारी (बोर्ड/बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति) ने प्रमाणित कर दिया हो।

अब बंद किए जाने के लिए पात्र ठहराए जाने वाले मामलों के संबंध में संशोधित अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को रिज़र्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में मामलेवार प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में उनका प्रधान कार्यालय स्थित है। रिज़र्व बैंक से अनुमोदन के पश्चात मामले बंद किए जा सकते हैं। तथापि, बैंकों को एक अलग लेजर में ऐसे मामलों का अभिलेख रखना होगा। धोखाधड़ियों के मामलों के सीमित सांख्यिकीय प्रयोजनों से बंद करने के पश्चात भी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्वेषण की कार्रवाई निर्णायक स्थिति तक पहुंचे, जाँच एजेंसियों (सीबीआई/पुलिस) के साथ गंभीरतापूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई करनी होगी। इसी प्रकार बैंकों को यह सुनिश्चित करते रहना होगा कि जब भी अपेक्षित हो वे न्यायालय की कार्रवाईयों में नियमित रूप से तथा उचित रूप से उपस्थित रहें। ऐसे मामलों से संबंधित सभी संगत अभिलेख सीबीआई/पुलिस अथवा न्यायालय द्वारा, जो भी लागू हो, अंतिम रूप से निपटान किए जाने तक सुरक्षित रखे जाएं।

बैंकों को अपने-अपने बोर्डों के अनुमोदन से संशोधित मानदंडों तथा आवश्यक समझी जाने वाली आंतरिक क्रियाविधियों/नियंत्रणों को समाहित करते हुए ऐसे धोखाधड़ियों के मामले बंद करने के संबंध में अपनी आंतरिक नीति निर्धारित करनी चाहिए।

इस तथ्य के बावजूद कि सीबीआई/पुलिस जाँच जारी रहते हुए अथवा न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए भी बैंक धोखाधड़ी के मामले बंद कर सकते हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा में स्टाफ की जवाबदेही की जाँच प्रक्रिया अथवा स्टाफ पर की जाने वाली कार्रवाई पूरी करनी चाहिए।

धोखाधड़ियों के ऐसे मामलों को बंद करने के लिए, जो 25.00 लाख रुपये से अधिक के हों संबंधी मानदंडों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

गारंटियां जारी करना

अपने पूर्व अनुदेशों को दोहराते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि किसी भी प्रकार के बांड अथवा ऋण लिखतों के निर्गम के लिए गारंटियां अथवा समतुल्य प्रतिबद्धताएं प्रदान नहीं की जाए।

रिज़र्व बैंक ने यह पाया था कि कुछ बैंक कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा जारी किए गए अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में उनकी ओर से गारंटियां जारी कर रहे हैं। कार्पोरेट बांड अथवा किसी भी प्रकार के ऋण लिखत के लिए बैंकिंग प्रणाली द्वारा गारंटी जारी करने से न केवल महत्वपूर्ण प्रणालीगत प्रभाव पड़ता है बल्कि उससे एक वास्तविक कार्पोरेट ऋण बाज़ार के विकास में भी बाधाएं आती हैं।

सहकारी बैंकिंग

लाभांशों की घोषणा

रिज़र्व बैंक द्वारा पूँजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति, गुणवत्ता प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली (केमल्स) मॉडल के आधार पर 31 मार्च 2009 के निरीक्षण चक्र से शहरी सहकारी बैंकों की "रेटिंग" की एक संशोधित प्रणाली प्रारंभ कर देने से बैंकों के स्तर निर्धारण की प्रणाली समाप्त हो गई है।

शहरी सहकारी बैंक अब रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना लाभांशों की घोषणा कर सकते हैं बशर्ते -

i) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) मानदंडों का अनुपालन किया जाता है।

ii) रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए मूल्यांकन के अनुसार सभी आवश्यक उपबंध करने के बाद निवल अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) 10 प्रतिशत से कम है।

iii) जिस वर्ष के लिए लाभांश प्रस्तावित हो उस वर्ष के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) /सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कोई चूक न हुई हो।

डॉ. कमलेश चंद्र चक्रवर्ती ने उप गवर्नर के रूप में कार्यग्रहण किया

डॉ. कमलेश चंद्र चक्रवर्ती ने 15 जून 2009 से भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में कार्यग्रहण किया। उनकी नियुक्ति कार्यग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए होगी।

डॉ. चक्रवर्ती, ग्राहक सेवा विभाग, प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, राजभाषा विभाग, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, शहरी बैंक विभाग का कार्यभार संभालेंगे तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वे वैकल्पिक अपील प्राधिकारी भी होंगे।

iv) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों, निवेशों तथा अन्य आस्तियों के लिए सभी अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं।

v) लाभांश का भुगतान निवल लाभ तथा सभी सांविधिक प्रावधान तथा संचित हानियों का पूरी तरह समायोजन के बाद किया जाता हो।

उपर्युक्त मद (ii) को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों का अनुपालन करने वाले शहरी सहकारी बैंक लाभांश की घोषणा के लिए अपेक्षित अनुमति हेतु रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

संपत्ति का मूल्यन - मूल्यनकर्ताओं का पैनल

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया है कि वे संपत्तियों के मूल्यन तथा मूल्यनकर्ताओं की नियुक्ति पर नीति बनाते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखें :

संपत्तियों का मूल्यन

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास अपने ऋण जोखिमों के लिए स्वीकृत संपार्श्विक सहित संपत्तियों के मूल्यन के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

ii) संपत्तियों का मूल्यन व्यावसायिक रूप से योग्यताप्राप्त स्वतंत्र मूल्यनकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए अर्थात मूल्यनकर्ता का इससे कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं जुड़ा होना चाहिए।

iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए कम से कम दो स्वतंत्र मूल्यन रिपोर्टें प्राप्त करनी चाहिए।

बैंक की निजी संपत्तियों का पुनर्मूल्यन

उपर्युक्त के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी निजी संपत्तियों के पुनर्मूल्यन के लिए नीति बनाते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए :

i) पूंजी पर्याप्तता संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक टियर II पूंजी के एक हिस्से के रूप में 55 प्रतिशत के बट्टे पर पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि शामिल करने की अनुमति प्रदान करता है। इस नीति के अंतर्गत अन्य बातों के साथ पुनर्मूल्यन के लिए आस्तियों के पहचान की प्रक्रिया, इस प्रकार की आस्तियों के लिए अभिलेखों का अलग समूह बनाए रखने, पुंनर्मूल्यन की बारंबारता, इन आस्तियों के लिए मूल्यह्रास नीति, इस प्रकार की पुनर्मूल्यित आस्तियों की बिक्री की नीति आदि शामिल होनी चाहिए।

ii) चूंकि पुनर्मूल्यन से निर्धारित आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन प्रदर्शित होना चाहिए इसलिए पुनर्मूल्यन की बारंबारता का निर्धारण विगत में देखी गई आस्तियों की अस्थिर कीमतों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मूल्यह्रास की विधि से किसी भी प्रकार के परिवर्तन से उन आस्तियों के भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के संभावित तौर-तरीके में परिवर्तन की झलक मिलनी चाहिए। किसी विशिष्ट श्रेणी की परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यन की बारंबारता/उसके मूल्यह्रास की विधि में परिवर्तन करते समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इन सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए।

स्वतंत्र मूल्यनकर्ताओं का पैनल तैयार करना

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास व्यावसायिक मूल्यनकर्ताओं का पैनल बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा उन्हें "मूल्यनकर्ताओं की अनुमोदित सूची" का एक रजिस्टर बनाकर रखना चाहिए।

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मूल्यनकर्ताओं का पैनल बनाने के लिए एक न्यूनतम अर्हता निर्धारित करनी चाहिए। भिन्न-भिन्न प्रकार की आस्तियों (उदाहरणार्थ भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि-भूमि आदि) के लिए अलग-अलग अर्हताएं तय करनी चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अर्हताएं निश्चित करते समय संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 की धारा 34 एबी (नियम 8ए) के अंतर्गत निर्धारित अर्हताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संबंधित लेखाकरण मानक के दिशानिर्देशों का भी पालन करना चाहिए।

वाणिज्यिक स्थावर संपदा में एक्सपोज़र

रिज़र्व बैंक ने सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को वित्त प्रदान न करें। जहाँ तक इस क्षेत्र को पहले से ही दिए गए ऋण का संबंध है, यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे ऋण सुव्यवस्थित रूप से जमानती हों और उनके लिए वर्तमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किया गया हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन ऋण सुविधाओं को नवीकृत नहीं किया जाता है।

बेंचमार्क मूल उधार दर पर कार्यकारी दल

रिज़र्व बैंक ने 11 जून 2009 को बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) पर एक कार्यदल का गठन किया है। कार्यकारी दल के संदर्भ के विषय निम्नानुसार है:

i) बीपीएलआर की अवधारणा और उसके मूल्यन की प्रक्रिया की समीक्षा करना;

ii) सब-बीपीएलआर उधार का दायरा और उसके कारणों की जाँच करना;

iii) प्रमुख बैंकों के बीपीएलआर में व्यापक भिन्नता की जाँच करना;

iv) अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रणालियों पर आधारित उचित ऋण मूल्यन प्रणाली का सुझाव देना;

v) 2 लाख रूपए तक के छोटे ऋणों और निर्यातकों के लिए लागू उधार दरों की समीक्षा करना;

vi) खुदरा क्षेत्र में अस्थायी दर ऋणों के लिए उचित बेंचमार्क का सुझाव देना; और

vii) उधार दरों से संबंधित अन्य कोई मामले पर विचार करना।

श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक इस दल के अध्यक्ष होंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विभाग, भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, कैनरा बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और सीटी बैंक इसके प्रतिनिधि होंगे। इस दल में बाहरी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कार्यकारी दल संभवत: अपनी रिपोर्ट अगस्त 2009 के अंत तक प्रस्तुत कर देगी।

कार्यकारी दल बीपीएलआर सहित बैंकों के उधार दरों से संबंधित मामलों पर अभिमत और सुझाव का स्वागत करता है। अभिमत और सुझाव प्रभारी परामर्शदाता, मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 को भेजे जाने हैं।

आपको यह ज्ञात होगा कि वाणिज्यिक बैंकों के ऋण उत्पादों के मूल्यन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्य बैंकों ने ऋणों के मूल्यन के लिए नवंबर 2003 में बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) की प्रणाली लागू की गई थी।

अप्रैल 2009 में जारी वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 (पैरा 87) में यह उल्लेख किया गया था कि समयांतर में बीपीएलआर की प्रणाली इस रूप में उभरी कि संदर्भ दर के रूप में उसका उद्देश्यपूर्ण संबंध ही समाप्त हो गया। साथ ही, इससे मौद्रिक संकेतों के सुचारू संप्रेषण में बाधा पहुँचती है और ऋण मूल्यन प्रणाली अपारदर्शी बन जाती है। तदनुसार, वर्तमान बीपीएलआर प्रणाली की समीक्षा करने के लिए तथा ऋण मूल्यन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने हेतु नीति ने बेंचमार्क मूल उधार दर पर एक कार्यकारी दल के गठन का प्रस्ताव रखा था।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

मज़बूत विनियमन में परिवर्धन तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने पर जी 20 कार्यदल की सिफारिशें

(पूर्व अंक से जारी है)

सिफारिश 11

जी-20 के सभी सदस्यों को वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) रिपोर्ट तैयार करने और उसके निष्कर्षों को प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। राष्ट्रीय प्राधिकारी भी अंतरराष्ट्रीय रूप से सहमत पद्धतियों और साधनों पर आधारित अपने विनियामक ढांचे का आवधिक रूप से स्व-मूल्यांकन कर सकते हैं।

- भारत ने पहली बार वर्ष 2001 में आइएमएफ और विश्व बैंक द्वारा आयोजित एफएसएपी में भाग लिया और फंड/बैंक द्वारा किए गए मानक और संहिताओं के स्वतंत्र मूल्यांकन से भी जुड़ा रहा। उसने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और संहिताओं के पालन का स्व-मूल्यांकन 2002 में किया और 2004 में इसकी समीक्षा की तथा इन रिपोर्टों को पब्लिक डोमेन में रखा। भारत ने 2001 के पिछले एफएसएपी से अब तक वित्तीय क्षेत्र में निरंतर आधार पर सुधार किए जिसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता, लचीलापन और गहनता में सुधार लाना है। भारत ने आइएमएफ-डब्ल्यूबी प्रणाली के आधार पर वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति (अध्यक्षः डॉ. राकेश मोहन और सह-अध्यक्षः श्री अशोक चावला) के अधीन 2009 में वित्तीय क्षेत्र का व्यापक स्व-मूल्यांकन पूर्ण किया है। इस मूल्यांकन के छः खंड हैं और उन्हें प्रकाशित किया गया है तथा उन्हें 30 मार्च 2009 को अंतरराष्ट्रीय रूप से अनुमोदित पिअर समीक्षाकर्ताओं की टिप्पणियों के साथ पब्लिक डोमेन में रखा गया है। रिज़र्व बैंक जी-20 के दो कार्य-दलों की सिफारिशों, अर्थात् स्वस्थ विनियामक का प्रसार और पारदर्शिता मजबूत करना, तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना एवं वित्तीय बाजारों में अखंडता का संवर्धन करना, के कार्यान्वयन के लिए कार्य-दल का गठन करेगा और उनके कार्यान्वयन पर सतत निगरानी रखेगा। कार्य-दल ऐसे सभी मामलों पर ध्यान देगा जो सामने आएंगे और यह भी देखेगा कि वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में कौन-सी अनुवर्ती कार्रवाई करना आवश्यक है। कार्य-दल आवर्ती आधार पर प्रत्येक तिमाही के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम का सुझाव देगा।

सिफारिश 12

एफएसएफ और अन्य निकायों, विशेषतः बीसीबीएस को चाहिए कि वे आर्थिक विस्तार के दौरान पूंजी बफर के निर्माण का संवर्धन करते हुए और दबाव के समय उचित मूल्य निर्धारण, लिवरेज तथा बेमेल परिपक्वता के बीच प्रतिकूल सहक्रिया पर नियंत्रण रखते हुए वित्तीय प्रणाली में चक्रीय अनुकूलता कम करने के लिए पर्यवेक्षी और विनियामक दृष्टिकोणों को विकसित और कार्यान्वित करें।

- भारत में, 8 प्रतिशत के न्यूनतम सीआरएआर संबंधी बासल मानदण्ड के स्थान पर बैंकों को 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखना होता है। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का समग्र सीआरएआर सुदृढ बना हुआ है और यह मार्च 2008 के अंत में 13 प्रतिशत तथा दिसंबर 2008 के अंत में 13.1 प्रतिशत था। रिज़र्व बैंक ने विनियामक मानदण्ड में दिए गए प्रतिचक्रीयता के तत्व को कम करने की आवश्यकता को माना है क्योंकि इससे चक्रीय रुझान बढ़ सकते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक, चक्रीय-अनुकूलता के प्रभाव को कम करने के लिए अनेकों समष्टि विवेकपूर्ण साधनों का प्रयोग करता रहा है।
- एफएसबी और सदस्य निकायों, बीसीबीएस तथा सीजीएफएस को चक्रीय-अनुकूलता को कम करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण विकसित करने का दायित्व सौंपा गया है। उनसे 2009 के अंत तक एक रणनीतिक योजना बनाए जाने की आशा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय निकायों के कार्यों से बनने वाली वैश्विक सहमति के अनुसार इस संबंध में आगे कार्रवाई करेगा।

सिफारिश 13

लेखांकन मानक के निर्धारकों को ऋण हानि का पता लगाने तथा उसके मापन के लिए ऐसा वैकल्पिक दृष्टिकोण जिसमें कि ऋण के संबंध में व्यापक सीमा तक सूचना उपलब्ध रहेगी, बनाने पर विचार करते हुए ऋण हानि प्रावधानों की लेखा निर्धारण पद्धति को सुदृढ़ बनाना चाहिए। उनको, आंकड़े अथवा मॉडलिंग कमज़ोर होने पर मूल्यनों में सुधार सहित, उचित मूल्य लेखांकन से सम्बद्ध प्रतिकूल गतिशीलता को कम करने संबंधी मानकों में हुए परिवर्तनों की भी जांच करनी चाहिए। लेखांकन मानकों के निर्धारकों और विवेकशील पर्यवेक्षकों को उन समाधानों को पहचानने के लिए एक साथ काम करना चाहिए जो वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के संवर्धन तथा वित्तीय रिपोर्टों में आर्थिक परिणामों की पारदर्शिता के पूरक उद्देश्यों से सम्बद्ध है।

- रिज़र्व बैंक ने वर्ष 1991-92 में आस्ति वर्गीकरण और ऋण प्रावधान मानदण्ड लागू किए जिसमें आस्तियों के वर्गीकरण पर आधारित न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। ऋण हानि प्रावधानन (लेखांकन परिप्रेक्ष्य) से संबंधित लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं और रिज़र्व बैंक के वर्तमान विनियामक दृष्टिकोण तथा प्रत्याशित ऋण हानियों (विनियामक परिप्रेक्ष्य) की गणना के बासल II के दृष्टिकोण के बीच मतभेद के कतिपय क्षेत्र हैं । अंतर्राष्ट्रीय रूप से, बीसीबीएस के लेखांकन कार्यदल (एटीएफ) और आइएएसबी के बीच इस संबंध में विलयन के प्रयास किये जा रहे हैं। रिज़र्व बैंक इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों के अनुरूप अपनी नीतियों को सहज बनाएगा।
- रिज़र्व बैंक ने, वर्षों के दौरान, भारत- विशिष्ट दशाओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप विभिन्न लिखतों/आस्तियों के मूल्यांकन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बाजार अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने कई प्रकटीकरण अपेक्षाओं को विकसित किया है जो बाजार सहभागियों को पूंजी पर्याप्तता, जोखिम एक्सपोज़र, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधी प्रमुख जानकारियों के मूल्यांकन तथा तुलनीयता को बढ़ाने वाले संगत और समझने योग्य प्रकटन ढ़ांचे को उपलब्ध करानेवाले प्रमुख कारोबारी मानदण्डों, की अनुमति प्रदान करते हैं। बैंकों को भी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) द्वारा जारी लेखांकन नीतियों के प्रकटन पर लेखांकन मानकों (एएस) का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

(अगले अंक में जारी रहेगा)

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।